(74) (198)

प्रकरण क्रमांक- निग0-4550/2018/सीधी/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा
सम्भाग रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

1– बेनी प्रसाद तनय नकछेदी लाल पटेल

2– रामधनी तनय इन्द्रभान पटेल दोनो निवासी ग्राम परसिधी तहसील सिहावल जिला सीधी (म.प्र.)

...........निगराकार गण

बनाम

1– श्रीमती फूलकली पत्नी रघुनन्दन पटेल निवासी ग्राम परसिधी तहसील सिहावल जिला सीधी (म.प्र.)

2– म.प्र.शासन

.............गैरनिगराकार गण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी म.प्र. बेनी प्रसाद व अन्य बनाम श्रीमती फूलकली व अन्य के प्रकरण क्– 164/अ 74/17–18 मे पारित अंतरित आदेष दिनांक 12.07.18 को निरस्त किये जाने। निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है–

1– यह कि अधीनस्त न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया एवं न्यायिक सिद्धांतो तथा प्राकितिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्त न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता गणो ने अपने पैत्रिक स्वत्व अधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर पुराना 138 रकवा 0.19 ए. से निर्मित जमीन भू मापक कमांक 407 तथा पुराना नम्बर 281 रकवा 1.21 ए. से निर्मित नवीन भू मापक

(50)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

क्रमांक RUSSO./ नि.गी./2018 जिला— सीधी

बेनी प्रसाद पटेल विरूद्ध कुलकली

	(2)	
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 164/अ-74/17-18 में पारित आदेश दिनांक 12-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	